# कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) : दिल्ली

## परिपत्र

### स्वरचित रचना प्रतियोगिता 2024

आप सभी को सहर्ष सूचित किया जाता है कि सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने, इसका प्रचार–प्रसार करने तथा अपना दैनिक सरकारी कामकाज राजभाषा हिन्दी में करने के प्रति कर्मचारियों में रूचि बढ़ाने के उद्देश्य से माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली की स्वीकृति से तथा केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली के दिशा–निर्देशों के अनुरूप केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली के सभी कर्मचारियों के लिए हिन्दी की विविध प्रतियोगिताओं में से एक स्वरचित रचना प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।

इस प्रतियोगिता के तहत केन्द्रीय जिला/मुख्यालय में तैनात इच्छुक कर्मचारी हिन्दी में लिखे अपने स्वरचित लेख, कविता, कहानी, यात्रा वृत्तांत आदि भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता का विवरण निम्न प्रकार है:–

| क्रम | प्रतियोगिता का नाम | भेजने की अंतिम तारीख व समय | भेजने का स्थान |
|---|---|---|---|
| 1. | **स्वरचित रचना प्रतियोगिता** हिन्दी भाषा में रचित लेख, कविता, कहानी, यात्रा वृत्तांत आदि–आदि। | **10.07.2024,** अपराह्न 4.00 बजे तक | राजभाषा हिन्दी अनुभाग, केन्द्रीय जिला, कमरा संख्या 238, तीस हजारी न्यायालय दिल्ली। |

कृपया ध्यान दें :– विस्तृत जानकारी के लिए परिपत्र के साथ इस प्रतियोगिता से संबंधित संलग्न नियमावली को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

उपर्युक्त प्रतियोगिता के परिणामों की जानकारी आपको यथासमय दी जाएगी तथा प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतियोगियों को नियमानुसार नकद पुरस्कार/पारितोषिक दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इच्छुक कर्मचारी अपनी स्वरचित रचना निर्धारित तारीख तक बंद लिफाफे में निर्धारित संलग्न प्रपत्र व प्रमाण–पत्र सहित **नोडल अधिकारी, राजभाषा हिन्दी अनुभाग, कक्ष संख्या 238, द्वितीय तल, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली को भेजें।**

अंतिम तारीख के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

अपूर्व
(अपूर्व गुप्ता) 25/6/24
नोडल अधिकारी, के.हि.का.समिति, केन्द्रीय जिला,
महानगर दण्डाधिकारी
तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

संख्या 32491-670 / हिन्दी / प्रतियोगिता / 238 / केन्द्रीय / 2024 दिल्ली, दिनांक 28 MAY 2024

**सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु परिपत्र एवं संलग्नकों की प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:–**

1. निजी कार्यालय, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
2. श्री संजीव जैन, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कड़कड़डूमा न्यायालय–सह– अध्यक्ष, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, श्री मुकेश कुमार गुप्ता, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश–सह–सदस्य, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, श्री हेमराज, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश–सह–सदस्य, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली एवं सुश्री नीति सूरी मिश्रा, वि. अति. मुख्य महानगर दण्डाधिकारी–सह–सदस्य, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली ।
3. निदेशक (प्रशासन), दिल्ली न्यायिक अकादमी, नई दिल्ली।
4. विद्वत प्रधान न्यायाधीश, अति० प्रधान न्यायाधीश व न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
5. समस्त विद्वान न्यायिक अधिकारी, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
6. विद्वान मुख्य महानगर दण्डाधिकारी / अतिरिक्त मुख्य महानगर दण्डाधिकारी, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
7. विद्वान सचिव, दिल्ली विधिक सेवाएँ प्राधिकरण, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
8. कार्यालय विद्वान प्रशासनिक दीवानी न्यायाधीश, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
9. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) व अनुभाग प्रमुख, सामान्य अनुभाग, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
10. सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) व अनुभाग प्रमुख, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
11. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, लेखा अनुभाग, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
12. जनसूचना अधिकारी व जनसंपर्क अधिकारी, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
13. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) व अनुभाग प्रमुख, कम्प्यूटर अनुभाग, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
14. (वरि.) प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), समस्त न्यायिक जिलों के राजभाषा हिन्दी अनुभाग, केवल सूचनार्थ।
15. प्राप्ति एवं निर्गम शाखा, लेयर्स पर अपलोड करने हेतु।
16. अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय के रीडर।

☞ **कृपया ध्यान दें :– उपर्युक्त समस्त विद्वान न्यायिक अधिकारियों व अन्य अधिकारियों से अनुरोध है कि परिपत्र से अपने नियंत्रणाधीन केन्द्रीय जिला तीस हजारी न्यायालय दिल्ली के तहत तैनात कर्मचारियों को अवश्य अवगत करवाएँ और इच्छुक कर्मचारियों के आवेदन पत्र उनकी रचनाओं सहित निर्धारित तारीख तक भिजवाने का कष्ट करें।**

अपूर्व
(अपूर्व गुप्ता) 28.5.24
नोडल अधिकारी, के.हि.का.समिति, केन्द्रीय जिला,
महानगर दण्डाधिकारी
तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

# राजभाषा हिन्दी अनुभाग (मुख्यालय)

कक्ष संख्या 238, द्वितीय तल,
तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
(दूरभाष – 011–23950919, विस्तार 1238)

**भेजने की अंतिम तारीख : 10.07.2024**

## विविध हिन्दी प्रतियोगिताएँ
## स्वरचित रचना प्रतियोगिता–2024

इस प्रपत्र के सभी कॉलम अवश्य भरें, किसी भी कॉलम को रिक्त न छोड़े।

1. कर्मचारी का नाम ____________________
2. पिता/पति का नाम ____________________
3. पदनाम ____________________
4. कर्मचारी की कूट संख्या ____________________
5. वर्तमान तैनाती स्थल ____________________
____________________
____________________
6. ई–मेल पता ____________________
7. मोबाइल नंबर ____________________

☆ नियमानुसार स्वरचना के संबंध में प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है। कृपया आवेदन करते हुए पूर्व प्रेषित नियमावली को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अपनी रचना हस्ताक्षर सहित बंद लिफाफे में भेजें।
हिन्दी में किए गए हस्ताक्षर अपना विशेष प्रभाव रखते हैं।

कर्मचारी के हस्ताक्षर

अग्रसारित

(अग्रेषण अधिकारी के हस्ताक्षर)
मोहर सहित

संलग्नक-क

संदर्भ : केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली की बैठक दिनांक 07.02.2023 के कार्यवृत्त क० बिन्दु-1 के अनुपालन में प्रस्तुत

**जिला न्यायालय, दिल्ली में राजभाषा हिन्दी की विविध प्रतियोगिताओं का स्वरूप व नियमावली :-**

जिला न्यायालय, दिल्ली में कार्यरत कर्मचारियों के लिए (इनमें दिल्ली विधिक सेवाएँ प्राधिकरण, परिवार न्यायालय तथा दिल्ली न्यायिक अकादमी में कार्यरत कर्मचारी भी शामिल हैं) राजभाषा हिन्दी की विविध प्रतियोगिताओं की श्रेणियाँ निम्न प्रकार होंगी:-

क) हिन्दी टंकण प्रतियोगिता (लिखित)

ख) हिन्दी टिप्पण-प्रारूपण प्रतियोगिता

ग) राजभाषा हिन्दी-सामान्य ज्ञान व अनुवाद प्रतियोगिता (लिखित परीक्षा)

घ) स्वरचित रचना (कविता, कहानी, लेख, यात्रा-वृत्तांत आदि)

ङ) आशु-भाषण प्रतियोगिता

## उपरोक्त प्रतियोगिताओं के लिए नियमावली :-

1. इन प्रतियोगिताओं में संबद्ध न्यायिक जिला, जिला न्यायालय, दिल्ली में कार्यरत, सभी वर्गों के कर्मचारीगण अपने संबद्ध न्यायिक जिले में भाग ले सकते हैं।

2. संबंधित जिले के राजभाषा अनुभाग में कार्यरत कर्मचारी उक्त प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।

3. संबंधित जिले के नोडल अधिकारी/समन्वयक के न्यायालय/कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी उक्त प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।

4. प्रतियोगिताओं के आयोजन की तारीख, समय, स्थान इत्यादि की जानकारी सभी संबद्ध न्यायिक जिले के कर्मचारियों को परिपत्र के माध्यम से यथासंभव समय में दी जाएगी।

5. ये प्रतियोगिताएँ नि:शुल्क हैं।

6. इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक कर्मचारियों को अपने नाम संबंधित जिले के नोडल अधिकारी/समन्वयक, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली को उचित माध्यम से भेजने होंगे और कर्मचारी प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए बनाए गए निम्नलिखित नियमों का पालन करते हुए उसमें भाग ले सकते हैं:-

क) हिन्दी टंकण प्रतियोगिता (लिखित) हेतु नियम :-

i) हिन्दी टंकण (लिखित) प्रतियोगिता कम्प्यूटर पर ली जाएगी।

ii) इसकी अवधि 10 (दस) मिनट की होगी जिसमें लिखित प्रश्न-पत्र दिया जाएगा।

iii) हिन्दी टंकण (लिखित) परीक्षा का मूल्यांकन, टंकण की गति व सटीकता, दोनों के आधार पर किया जाएगा।

ख) हिन्दी टिप्पण-प्रारूपण प्रतियोगिता हेतु नियम :-

i) टिप्पण-प्रारूपण प्रतियोगिता का समय एक घंटे का होगा।

ii) इस प्रतियोगिता में कार्यालय के रोजमर्रा के विषयों से संबंधित हिन्दी में टिप्पण/पत्र/परिपत्र/आदेश/ज्ञापन आदि लिखने संबंधित प्रश्न होंगे।

iii) मूल्यांकन भाषा-शैली, विषयपरकता के अनुसार प्रस्तुतिकरण के आधार पर किया जाएगा।

iv) टिप्पण, प्रारूपण एवं पत्राचार के लिए हिन्दी के सरल, सहज एवं सुस्पष्ट शब्दों का प्रयोग करें।

ग) राजभाषा हिन्दी-सामान्य ज्ञान व अनुवाद प्रतियोगिता (लिखित परीक्षा)

i) इस प्रतियोगिता का समय एक घंटे का होगा।

ii) इस प्रतियोगिता में राजभाषा हिन्दी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएँगे।

iii) इस प्रतियोगिता में अंग्रेज़ी से हिन्दी व हिन्दी से अंग्रेज़ी अनुवाद भी सम्मिलित होगा।

घ) स्वरचित रचना (कविता, कहानी, लेख, यात्रा-वृत्तांत आदि) प्रेषित करने हेतु नियम :-

i) कर्मचारी अपनी स्वरचित रचना निर्धारित तारीख तक बंद लिफाफे में संबंधित जिले के नोडल अधिकारी/समन्वयक, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वियन समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली को भेजेंगे।

ii) स्वरचित रचना के साथ कर्मचारी द्वारा यह प्रमाणित करते हुए प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए कि वह रचना उसकी स्वरचित रचना है जो कहीं भी प्रकाशित नहीं हुई है तथा उस रचना के लिए उसने कहीं से कोई पुरस्कार प्राप्त नहीं किया है। इस प्रमाणपत्र के बिना रचना स्वीकार नहीं की जाएगी।

iii) स्वरचित रचना किसी भी जाति, धर्म, सम्प्रदाय या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली नहीं होनी चाहिए व राष्ट्रविरोधी व सरकार के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए।

ङ) आशु-भाषण प्रतियोगिता हेतु नियम :-

(i) इस प्रतियोगिता का नाम हिन्दी आशु भाषण प्रतियोगिता होगा।

(ii) इस प्रतियोगिता हेतु एक मिनट की समयावधि तय की जाए।

(iii) प्रतियोगिता का विषय (topic) मौके पर (on the spot) ही दिया जाएगा।

(iv) दिए गए विषय पर बोलते हुए दुहराव (Repetition) की स्थिति में नकारात्मक अंकन (negative marking) किया जाएगा।

7. प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए नकद पुरस्कारों का विवरण निम्नलिखित है:-

| | |
|---|---|
| प्रथम पुरस्कार (एक) | 4000/- रुपये |
| द्वितीय पुरस्कार (एक) | 3000/- रुपये |
| तृतीय पुरस्कार (एक) | 2000/- रुपये |
| प्रोत्साहन पुरस्कार (पाँच) | 800/- रुपये |

(उक्त नकद इनाम की राशि कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार की विविध हिन्दी प्रतियोगिताओं में दी जाने वाली नकद पुरस्कार की राशि के समान व अनुरूप है। इस संदर्भ में कृपया सूचक 'क' पर उनकी नियमावली का अवलोकन करें।)

8. संबद्ध न्यायिक जिले के नोडल अधिकारी/समन्वयक/समन्वयक अपने संबंधित न्यायिक जिले के माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की सहमति से उपर्युक्त प्रतियोगिताओं में सभी अथवा इनमें से कुछ चयनित प्रतियोगिताओं का आयोजन कर सकते हैं।

9. जिला न्यायालय दिल्ली में प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए संबंधित जिले के नोडल अधिकारी/समन्वयक यथासमय केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वियन समिति को सूचित करेंगे तथा सभी न्यायिक जिलों हेतु प्रश्नपत्र बनाने तथा उत्तर-पुस्तिकाएँ जाँचने संबंधी निर्णय केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वियन समिति द्वारा लिए जाएँगे।

10. कर्मचारी सभी प्रतियोगिताओं में सम्मिलित हो सकते हैं लेकिन उन्हें पुरस्कार केवल किसी एक प्रतियोगिता में ही दिया जाएगा, जिसमें उसकी मेरिट बेहतर होगी। यदि एक से अधिक कर्मचारियों ने समान अंक प्राप्त किए हैं तो पुरस्कार राशि उनमें समान अनुपात में वितरित की जाएगी।

11. इन प्रतियोगिताओं के आयोजन से संबंधित किसी विवाद की स्थिति में संबद्ध न्यायिक जिले के नोडल अधिकारी/समन्वयक एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का निर्णय ही अंतिम होगा तथा किसी आवश्यक बदलाव का अधिकार भी इन्हें होगा।

12. राजभाषा हिंन्दी अनुभागों को राजभाषा हिन्दी से संबंधित प्रतियोगिताओं हेतु बजट का प्रबंध संबद्ध न्यायिक जिले के सामान्य अनुभाग द्वारा यथासमय उपलब्ध कराया जाएगा।

------------------

नोट:-

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली के यथास्वीकृत केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली की बैठक दिनांक12-03-2024 के कार्यवृत्त द्वारा उक्त नियमावली के बिन्दू 09 में किए गया आंशिक परिवर्तन निम्न प्रकार है:-

**09- जिला न्यायालय दिल्ली के संबंद्ध न्यायिक जिले में प्रतियोगिताओं का आयोजन करते समय इसकी सूचना संबंधित जिले के नोडल अधिकारी के द्वारा यथासमय समिति को प्रेषित की/दी जाएगी। प्रतियोगिताओं के लिए प्रश्न-पत्र बनाने, उत्तर-पुस्तिकाएँ जाँचने तथा परिणाम तैयार करने, घोषित करने, पुरस्कार वितरण इत्यादि संबंधी सभी कार्य संबंधित जिले के नोडल अधिकारी व लिंक नोडल अधिकारी के स्तर पर व उनके द्वारा संबद्ध माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार किए जाएंगे।**

(अपूर्व गुप्ता)
नोडल अधिकारी, के.हि.का.समिति, केन्द्रीय जिला,
महानगर दण्डाधिकारी
तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।